86

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1304–दो/2007 – विरूद्व आदेश दिनांक 16–5–2007 – पारित व्दारा – आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 495/2006–07 अपील

राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता
ग्राम गढ़ तहसील सिरमौर जिला रीवा,म0प्र0 ––––आवेदक

विरूद्व

सरपंच ग्राम पंचायत गढ विकास खंड गंगेव
जिला रीवा मध्य प्रदेश ––––अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 7– 08–2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 495/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–5–2007 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपर कलेक्टर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 48 अ–74/2005–06 में पारित आदेश दिनॉक 21–6–2006 से म0प्र0शासन हाई स्कूल गढ़ की भूमि नईगढ़ी मार्ग स्थित सर्वे नंबर 77 रकबा 1–62 एकड़ के जुज रकबा 20X85=1700 वर्गफिट को आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 843/1/1ख के अंश रकबा 20X85=1700 वर्गफिट से अदला–बदली किये जाने की अनुमति प्रदान की।

जिला प्रशासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया कि आवेदक की भूमि

शहर वस्ती से एक कि.मी. वाहर की भूमि है जिसकी कीमत मात्र 93,845/–रू. है जबकि शासन की भूमि की कीमत 1,12,497/– रू. की है जो बसाहट क्षेत्रान्तर्गत है इस प्रकार शासन को विनिमय अलाभकारी है किन्तु नायव तहसीलदार व्दारा गलत जांच प्रतिवेदन देने के आधार पर उक्त विनिमय किये जाने में चूक हुई है फलतः अपर कलेक्टर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 23 पुर्न/अ–74/2006–07 पॅजीबद्व किया तथा हितबद्व पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनॉक 22–3–2007 पारित किया तथा पूर्व में पारित आदेश दिनॉक 21–6–2006 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 (3) के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 **495/2006–07** अपील में पारित आदेश दिनांक 16–5–2007 से अपील निरस्त कर दी। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक की आपत्ति है कि अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 48 अ–74/2005–06 में पारित आदेश दिनॉक 21–6–2006 का पुनरावलोकन करने के पूर्व धारा 51 के अंतर्गत वरिष्ठ न्यायालय से अनुमति प्राप्त नहीं की है इसलिये अपर कलेक्टर रीवा का पुनरावलोकन आदेश दिनॉक 22–3–2007 विधि के प्रभाव से शून्यवत् है जिस पर आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा ने ध्यान न देने में भूल की है।

आवेदक के अभिभाषक के उक्तानुसार दिये गये तर्को के कम में अपर कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 48 अ–74/2005–06 में पारित आदेश दिनॉक 21–6–2006 का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर का यह आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं है

अपितु यह भूमि विनिमय आदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 20 के अंतर्गत है। विचार योग्य है कि क्या राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत पारित आदेश के पुनरावलोकन के पूर्व वरिष्ठ की अनुमति आवश्यक है ?

अजीत कुमार विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य 1998 राजस्व निर्णय 140 पर माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अधीन पारित आदेश के पुनरावलोकन पर अनुज्ञा लेना आवश्यक नहीं है।

फलस्वरूप आदेश दिनॉक 21–6–2006 पर पुर्नविचार करते हुये अपर कलेक्टर रीवा व्दारा पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनॉक 22–3–2007 में विधि की विसंगति नहीं है।

5/ प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 22–3–07 के विरूद्व आवेदक ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 (3) के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 495/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–5–2007 के विरूद्व राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (3) के अंतर्गत पारित आदेश द्वित्तीय अपील योग्य है। इस सम्बन्ध में संहिता की धारा 51 में इस प्रकार व्यवस्था है :–

च– अपील– यदि पुनरावलोकन का आवेदन खारिज कर दिया जाए तब धारा 46 के खंड (ख) के अनुसार कोई अपील नहीं हो सकेगी। परन्तु जब पुनर्विलोकन में किसी आदेश को फेरफारित कर दिया जाए अथवा उलट दिया जाय तब संहिता की धारा 44 की उपधारा (3) के अनुसार प्रथम तथा द्वित्तीय अपीलें उसी प्रकार हो सकेगीं जिस प्रकार किसी मूल आदेश के विरूद्व होती है। इस प्रकार की अपील में अपील न्यायालय केवल यह देख सकता है कि पुर्नविलोकन के आधारों में से एक या अनेक का अस्तित्व था या नहीं।

तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल ने अंतरिम आदेश दि0 30–7–07 व्दारा निगरानी

सुनवाई में ग्राह्य की है , किन्तु म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में दी गई व्यवस्था (अः) अनुसार पूर्व मन्जूरी –

(1) मंडल – **अपने आदेश का पुर्नविचार करने का अधिकार राजस्व मण्डल को है परन्तु उसे किसी भी दशा में, किसी की भी पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।** फलस्वरूप तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल ने अंतरिम आदेश दिनॉक 30–7–07 से अग्राह्य निगरानी को सुनवाई हेतु ग्राह्य करने वावत् लिया गया निर्णय विधिक भूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जहां तक विचाराधीन निगरानी को अपील में बदलकर सुने जाने का प्रश्न है ? प्रकरण में अंतिम तर्क सुने जा चुके हैं तथा आवेदक एंव उनके अभिभाषक की ओर से निगरानी को द्वित्तीय अपील में बदलकर सुने जाने की प्रार्थना नहीं की गई है ।

पुरूषोत्तम प्रसाद विरूद्व म0प्र0राज्य 1986 रा.नि. 263 पर माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि अंतिम बहस के प्रक्रम पर अपील को पुनरीक्षण में अथवा पुनरीक्षण को अपील में परिवर्तित करने के लिये विलम्ब से की गई प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है।

यही स्थिति विचाराधीन प्रकरण की है जिसके कारण द्वित्तीय पक्ष को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकारों को ध्यान में रखते हुये विचाराधीन निगरानी प्रचलनयोग्य योग्य नहीं से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलन योग्य एंव सुनवाई योग्य न पाये जाने से निरस्त की जाती है ।

(एस0एस0अल्वी)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर